April - June, 2015

Rajasthan Police Academy

News Letter

इस अंक में .....

दीक्षान्त परेड

टोंक बनेगा बाल मित्रवत जिला

तनाव रहित पुलिस जीवन का व्याकरण

विशेष किशोर पुलिस इकाई

निदेशक की कलम से ...

राजस्थान पुलिस अकादमी अपनी मेहनत एवं पूर्ण क्षमताओं के साथ पुलिस बल में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों को संचालित कर पुलिस बल की क्षमताओं में विकास, सवंर्धन एवं परिष्कृत करने का प्रयास कर रही है। अकादमी में आधारभूत प्रशिक्षणों में हर पद के अधिकारियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है एवं सेवारत पुलिसकर्मियों को और अधिक दक्ष बनाने हेतु विशेष प्रशिक्षणों का आयोजन कर उनके ज्ञान में अभिवृद्धि का प्रयास किया जाता है। राजस्थान पुलिस में प्रशिक्षण को पूर्ण प्राथमिकता दिये जाने के फलस्वरूप ही आज राजस्थान पुलिस को देश में बेहतरीन पुलिस बल के रूप में देखा जाता है। विगत कुछ वर्षों में अपराध का स्वरूप बदला है। साइबर एवं आर्थिक अपराध, महिलाओं एवं बालकों के विरूद्ध अपराध, मानव तस्करी एवं संगठित अपराधों के अन्वेषण में आधुनिक तकनीक का ज्ञान होना अतिआवश्यक है। अनुसंधान में अपराधियों तक पहुँचने में परम्परागत तरीकों के स्थान पर तकनीकी अपना स्थान लेती जा रही है।

पुलिस बल में जनता के प्रति व्यवहार में भी अपेक्षित सुधार आने लगा है। पुलिस बल में आम जनता से अच्छे व्यवहार एवं सामंजस्य के साथ ही मानव अधिकारों पर समझ बढ़ने लगी है। इसका कारण प्रशिक्षण में चुने गये विषयों के साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग एवं अन्य एजेन्सियों द्वारा भी पुलिस प्रशिक्षण एवं पुलिस बल के सदस्यों के व्यवहार एवं दृष्टिकोण में बदलाव के प्रयास शामिल है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रतिवर्ष पुलिस बल के सदस्यों की जिला, रेंज एवं राज्य स्तर की वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित करवाई जाती है ताकि पुलिस को मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। देश में आज पुलिस बल के सदस्यों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह उच्च प्रजांतान्त्रिक मूल्यों को आत्मसात कर जनता के साथ अच्छा व्यवहार स्थापित करें। उन्हें अपने ऊपर लगने वाले आरोपों यथा रिश्वतखोरी, संवेदनहीनता, दुर्व्यवहार, अयोग्यता आदि से मुक्त होना होगा।

अकादमी में हाल ही में 368 उपनिरीक्षक प्रशिक्षुओं के दीक्षान्त समारोह में माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने अकादमी को अच्छे प्रशिक्षण के लिए बधाई देते हुए चुनौतियों का मुकाबला दृढ़ता के साथ करने के लिए प्रशिक्षण में नवाचारों एवं आई.टी. प्रशिक्षण की महत्ती आवश्यकता पर जोर दिया जिससे कि पुलिस के आत्मबल व विश्वास में वृद्धि हो एवं पुलिस "आमजन में विश्वास एवं अपराधियों में डर" के अपने ध्येय को पूर्ण कर सके।

भगवान लाल सोनी
निदेशक

दीक्षान्त परेड

राजस्थान पुलिस अकादमी में उप निरीक्षक प्रशिक्षु बैच संख्या 40 का दीक्षान्त समारोह दिनांक 25.06.2015 को राजस्थान पुलिस अकादमी के परेड ग्राउड में सम्पन्न हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि माननीया श्रीमती वसुन्धरा राजे मुख्यमंत्री, राजस्थान तथा विशिष्ट अतिथि श्री गुलाब चन्द कटारिया माननीय गृहमंत्री राजस्थान थे। इस अवसर पर अकादमी परिसर में शानदार सजावट कर समारोह को पूर्ण भव्यता प्रदान की गई। दीक्षान्त परेड समारोह में राजस्थान पुलिस के सेवारत एवं सेवानिवृत पुलिस अधिकारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। माननीया मुख्यमंत्री महोदया के प्रातः 8:30 बजे मंच पर आगमन पर परेड कमाण्डर श्री आलोक श्रीवास्तव, सहायक निदेशक आउटडोर के नेतृत्व में परेड द्वारा सलामी दी गई। सलामी के पश्चात् परेड कमाण्डर द्वारा माननीया मुख्यमंत्री महोदया को परेड निरीक्षण के लिए आमंत्रित किया गया। परेड निरीक्षण के पश्चात् राष्ट्रीय ध्वज व पुलिस कलर पार्टी का परेड ग्राउण्ड पर आगमन हुआ तथा प्रशिक्षणार्थियों द्वारा शपथ ग्रहण की गई तत्पश्चात् शस्त्र शपथ ली गई। शस्त्र शपथ के पश्चात् परेड द्वारा राष्ट्रीय ध्वज एवं पुलिस ध्वज का अभिवादन किया गया तथा राष्ट्रीय ध्वज व पुलिस कलर पार्टी ने परेड ग्राउण्ड से प्रस्थान किया। परेड द्वारा मंच के सामने से गुजर कर मुख्यमंत्री महोदया का अभिवादन किया गया। प्रशिक्षुओं की इस भव्य परेड का उपस्थित सभी अधिकारियों एवं अभिभावकों ने करतल ध्वनि से स्वागत एवं उत्साहवर्धन किया।

परेड के मंच से गुजरने के पश्चात् इस प्रशिक्षु बैच में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा पारितोषिक वितरित किया गया। इस बैच की अन्तिम परीक्षा में श्री उम्मेद सिंह रत्नू ने लॉ, अपराध एवं विधि विज्ञान, अपराध शास्त्र एवं अपराध निवारण तीनों में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए इण्डोर में प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा ऑल राउड द्वितीय स्थान पर रहा। आउटडोर में श्री मंशीराम विश्नोई प्रशिक्षु उप निरीक्षक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस बैच में सुश्री मौसम यादव प्रशिक्षु उप निरीक्षक जिला कोटा ग्रामीण ने फायरिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए समस्त में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया तथा माननीया मुख्यमंत्री महोदया से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मय प्रशंसा पत्र प्राप्त किया। श्री उम्मेद सिंह रत्नू एवं श्री मंशी राम विश्नोई को उनकी प्रत्येक उपलब्धि के लिए मैडल एवं प्रशंसा पत्र प्रदान किये गये। इस अवसर पर अकादमी में पदस्थापित श्री दीपक भार्गव सहायक निदेशक प्रशासन, श्री आलोक श्रीवास्तव सहायक निदेशक आउटडोर एवं श्री लक्ष्मण सिंह मण्डा सहायक निदेशक इण्डोर को भी प्रशिक्षण में उनकी महत्ती भूमिका के लिए माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए महानिदेशक

पुलिस ने प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को 52 सप्ताह में दिये गये प्रशिक्षण के बारे में बताया तथा प्रशिक्षण के माध्यम से चुनौतियों का मुकाबला सफलतापूर्वक करने के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण भी देना बताया। इस अवसर पर गृहमन्त्री राजस्थान श्री गुलाब चन्द कटारिया ने कहा कि अपराधियों के मन में अपराध करते समय पुलिस का भय होना चाहिए। उन्होंने विगत तीन चार वर्षों के अपराधों के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए अपराधों में कमी आना बताया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुलिस के लिए कोई न छोटा है और न कोई बड़ा है अपितु जो वेदना लेकर आता है उसकी बिना किसी भेदभाव के सहायता करनी चाहिए। उन्होंने शान्ति एवं अमन–चैन को विकास का मुख्य आधार बताया तथा अपराधों में सजा के प्रतिशत में बढ़ोतरी करने का आह्वान किया। उन्होंने राजस्थान पुलिस के प्रशिक्षकों को उनके द्वारा दिये जा रहे अच्छे प्रशिक्षण के लिए बधाई भी दी। माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने प्रशिक्षुओं द्वारा शानदार परेड के लिए उन्हें बधाई दी तथा कहा कि पुलिस की समाज में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है एवं जनता में विश्वास पैदा करने के लिए पुलिस को पूर्ण जिम्मेदारी से तथा सब को साथ लेकर कार्य करना चाहिए। पुलिस का कार्य जनता को राहत देकर विश्वास पैदा करना है तथा वे अपने कार्य से खुशहाल राजस्थान बनाने में मदद कर सकते हैं। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस कानिस्टेबल स्तर पर भी आई.टी. प्रशिक्षण की आवश्यकता बताई तथा राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन के माध्यम से पुलिस में ई–लनिंग के लिए पाँच करोड़ के अतिरिक्त बजट की घोषणा की। उन्होंने इस बैच के प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षणार्थी को राज्य सरकार की ओर से 15,000/रूपये का ईनाम देने की घोषणा भी की। समारोह के अन्त में राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने अकादमी का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए धन्यवाद ज्ञापन किया।

राजस्थान पुलिस का यह अब तक का सबसे बड़ा उप निरीक्षक का बैच था जिसमें 368 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षुओं द्वारा शानदार शारीरिक व्यायाम का प्रदर्शन किया गया। उनके द्वारा बनाये गये मानव पिरामिड तथा शानदार जिम्नास्टिक प्रदर्शन का सभी ने आनन्द लिया। इस समारोह को भव्यता

प्रदान करने वालों में श्री अरूण चतुर्वेदी, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजस्थान सरकार, श्री रामचरण बोहरा सांसद एवं श्री सुरेन्द्र पारीक विधायक भी उपस्थित थे। प्रशिक्षुओं के परिजन भी इस अवसर पर बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित थे। परेड समाप्ति के पश्चात् इन प्रशिक्षुओं को समारोह में उपस्थित अधिकारियों एवं उनके परिजनों ने उनके स्टार लगाए। सुश्री मौसम यादव को महानिदेशक पुलिस राजस्थान श्री मनोज भट्ट से स्टार पहनने का गौरव प्राप्त हुआ।

टोंक बनेगा बाल मित्रवत जिला

पुलिस बल के प्रति आमजन में सकारात्मक छवि के लिए पुलिस को सामाजिक सरोकार एवं आमजन से जुड़े विभिन्न मसलों पर सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचने एवं कार्य करने की आवश्यकता है। इस निमित पुलिस द्वारा अनेक कार्य किये जाते हैं जिनमें नशा मुक्ति शिविर लगाना, लोगों में यातायात के प्रति जागरूकता पैदा करना, विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता पैदा करना आदि शामिल है। पुलिस के बहुत से अच्छे कार्यों की जानकारी जनता तक पहुँच ही नहीं पाती है यथा पुलिसकर्मियों द्वारा शहीद दिवस पर किया जाने वाला रक्तदान, मेले, त्यौहारों पर चाक–चौबन्द व्यवस्था से आमजन को राहत तथा बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों एवं निःशक्तजनों की सहायता आदि। पुलिस अकादमी द्वारा इस दिशा में अभिनव प्रयोग के रूप में टोंक जिले को बाल मित्रवत बनाने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत बालकों से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जायेंगी जिसमें जिला स्तर व वृत स्तर पर नियुक्त पुलिस अधिकारियों, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, सी.एल.जी. सदस्यों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों को एक साथ बाल सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस हेतु पुलिस बल के कानिस्टेबल से लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु राजस्थान पुलिस अकादमी में बाल अधिकारों से सम्बधित सामग्री तैयार की गई है जिसे प्रशिक्षण में वितरित किया जायेगा।

बालकों को सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण परिस्थियों में विकास के अवसर सुनिश्चित कराना हम सबका दायित्व है परन्तु पुलिस के संपर्क में आने पर कई बार उन्हें अवांछनीय व्यवहारों का सामना करना पड़ता है जो मानवीय गरिमा एवं बाल अधिकारों के अनुकूलन नहीं होते हैं। इस प्रकार के व्यवहार से ही बच्चों के दिमाग में पुलिस के प्रति नकारात्मक छवि का निर्माण होता है। बच्चों में पुलिस के प्रति अनावश्यक भय एवं नकारात्मक सोच को बदलने के लिए टोंक जिले के सदर थाने को आदर्श बाल मित्र पुलिस थाना बनाया जायेगा तथा इसके लिए पुलिस थाने की महिला एवं बाल डेस्क को प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। बच्चों में नुक्कड़ नाटक, रैली, चित्रकला प्रतियोगिता आदि का आयोजन कर बैनर एवं पोस्टर के माध्यम से बाल सुरक्षा के प्रति संवेदना एवं जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जायेगा। पुलिस अधीक्षक टोंक से इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक प्रबन्ध करने का आग्रह किया गया है।

अकादमी के निदेशक श्री भगवान लाल सोनी की पहल से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। श्री सोनी के अनुसार बच्चे अत्यन्त कोमल एवं संवेदनशील स्वभाव के होते है। कई बार विधि के साथ संघर्षरत होने पर एवं बच्चे बाल सुरक्षा के लिए बच्चे पुलिस एवं सम्बन्धित एजेन्सियों के सम्पर्क में आते हैं। पुलिसकर्मियों में बच्चों के प्रति सहानुभूति एवं संवेदना पैदा कर उन्हें बाल अधिकारों के प्रति और अधिक जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के बच्चों के पुनर्वास में भी पुलिस की महत्ती भूमिका होती है। अतः पुलिस बाल कल्याण समिति एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की बच्चों के कल्याण एवं पुनर्वास में सार्थक भूमिका के लिए उन्हें एक मंच पर लाकर आवश्यक जानकारियाँ दिया जाना जरूरी है। इस कार्यक्रम के लिए श्रीमती अनुकृति उज्जैनियाँ अति. पुलिस अधीक्षक को कार्यक्रम समन्वयक बनाया गया है तथा इनकी सहायता के लिए श्री धीरज वर्मा, उप निरीक्षक एवं श्री यदुराज शर्मा को लगाया गया है। यह कार्यक्रम यूनिसेफ के सौजन्य से शुरू किया गया है, जिसमें अकादमी में यूनिसेफ के प्रतिनिधियों श्री विश्वास शर्मा एवं श्रीमति शालिनी सिंह की भी महत्ती भूमिका होगी।

साईबर क्राईम अनुसंधान पर प्रशिक्षण

आज के युग में साईबर अपराध पुलिस के समक्ष प्रमुख चुनौती के रूप में उभर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों को साईबर अपराधों के नियन्त्रण एवं अनुसंधान में दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता हर स्तर पर महसूस की जा रही है। राजस्थान पुलिस अकादमी में उप निरीक्षक से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को छः दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 20. 04.2015 से 26.04.2015 तक आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्घाटन सुश्री भावना सुगन्धा के व्याख्यान से हुआ जिसमें उन्होंने साईबर अपराधों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने कम्प्यूटर की शुरूआत, कम्प्यूटर की पृष्ठभूमि की जानकारी एवं कम्प्यूटर संचालन की प्रारम्भिक जानकारी प्रदान की। उन्होंने विभिन्न प्रकार के नेटवर्क, आई.पी. एड्रेस, ई–मेल आदि के बारे में बताते हुए विभिन्न प्रकार के साईबर अपराधों की जानकारी प्रदान की।

प्रशिक्षण में अकादमी के उप निदेशक श्री ओम प्रकाश ने सोशियल मीडिया के द्वारा किये जाने वाले विभिन्न अपराधों पर प्रकाश डाला तथा इस प्रकार के अपराधों में अनुसंधान की प्रक्रिया बताते हुए ई–मेल एवं सोशियल नेटवर्क के बारे में जानकारी प्रदान की। श्री प्रतीक कासलीवाल अधिवक्ता ने आई.टी. एक्ट में विभिन्न धाराओं की व्याख्या करते हुए इस एक्ट में हुए संशोधनों की जानकारी प्रतिभागियों को प्रदान की तथा आई.टी. एक्ट की धारा 66 ए के प्रयोग करने के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने साईबर सम्बन्धित विभिन्न अपराध, शास्तियों, आई. टी. एक्ट के तहत मिलने वाले मुआवजे के बारे में भी बताया। उन्होंने सर्विस प्रोवाईडर से जानकारी प्रदान करने, आई.टी. एक्ट में सर्विस प्रोवाईडर की जिम्मेदारी तथा साईबर कैफे चलाने सम्बन्धी प्रावधानों की जानकारी प्रदान की। श्री राजेश दुरेजा, उप निरीक्षक एटीएस ने मोबाईल टेलिफोनी के अपराधों के अनुसंधान में प्रयोग के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए इस प्रकार के साक्ष्य का संकलन एवं उसके प्रयोग आदि के बारे में बताते हुए आई. एम.ई.आई. नम्बर के प्रयोग से अपराधियों तक पहुँचने की विधि बताई।

श्री मुकेश चौधरी ने ए.टी.एम. से छेड़छाड़ कर उपभोक्ताओं के साथ किये जाने वाले अपराधों के बारे में जानकारी प्रदान की तथा ए.टी.एम. हैकिंग में अपनाये जाने वाले तरीके, पिन कोड़ की जानकारी प्राप्त कर किये जाने वाले अपराध एवं उन्हें रोकने के तरीके बताये। श्री मुकेश चौधरी ने ही क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड से किये जाने वाले अपराधों तथा इनके प्रयोगकर्ताओं की पहचान चुराकर उनके खातों से पैसे निकालने की अपराधियों की विधियों को समझाते हुए इस प्रकार के अपराधों में साक्ष्य संकलन के लिए एस.ओ.पी. बताई। उन्होंने नेट बैंकिंग के अपराधों, साईबर अपराधों, बौद्धिक सम्पदा अपराधों के सम्बन्ध में केस स्टेडी बताते हुए ऑन लाईन ट्रांजेक्शन के तरीके बताये। श्री शान्तनु दुबे ने लेपटॉप एवं कम्प्यूटर में हैस वेल्यू और जप्ती की प्रक्रिया, एम.ए.सी. एड्रेस, आई.पी. एड्रेस, सेवा प्रदाता के साथ किया जाने वाला पत्राचार आई. पी.एड्रेस की सहायता से हैकर्स तक पहुँचने की विधि बताई। श्री शान्तनु दुबे ने ही अपराधों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तकनीकी के प्रयोग, सोशियल नेटवर्किंग साईट की निगरानी तथा उनसे रिकार्ड प्राप्त करने की विधि के बारे में भी जानकारी प्रदान की तथा अपराधों के अनुसंधान में तकनीकी समाधान तथा विधिक प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करते हुए आवाज तथा आंकड़ो के अनुसंधान के बारे में भी बताया।

श्री राहुल चौधरी ने डिजिटल हस्ताक्षर, ऑन लाइन साक्ष्य, निगरानी तथा पॉर्नोग्राफी से सम्बन्धित विधि के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए साईबर अपराधों के बारे में केस स्टेडी बताई। श्री शैलेन्द्र झा ने साईबर फोरेन्सिक में प्रयोग होने वाले उपकरणों के बारे में बताया तथा हैस वेल्यू तथा जप्ती प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डाला। श्री गौरव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक एस.सी.आर.बी. ने साईबर अपराधों के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए इन अपराधों के द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण का संचालन श्री दीपक भार्गव, सहायक निदेशक (प्रशासन) द्वारा किया गया जिसमें कुल 33 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

यातायात प्रबन्धन पर वर्कशाप

राजस्थान पुलिस अकादमी में यातायात प्रबन्धन पर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके है। इस निमित दिनांक 23.04.2015 से 25.04.2015 तक श्री प्रकाश सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौते किसी महामारी से कम नहीं है। राजस्थान में प्रतिदिन 32 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं के कारण होती है। इन सड़क दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सकती है। अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं जिन कारणों से होती है उन पर गहन शोध के साथ ही उनके निदान की आवश्यकता है। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात प्रबन्धन पर तीन दिवसीय कोर्स आयोजित किया गया। इस कोर्स में सड़क सुरक्षा तथा विभिन्न प्रकार की सड़क दुर्घटनाओं एवं उनको रोकने के बारे में श्री वीरेन्द्र सिंह राठौड़, जिला परिवहन अधिकारी राजसमन्द ने प्रतिभागियों से जानकारी साझा की। इस प्रशिक्षण में सुरक्षात्मक वाहन चलाने के तरीके बताते हुए ब्रेक एवं अन्य मैकेनिज्म के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी रखने सम्बन्धी जानकारी श्री संजीव साँखला द्वारा प्रदान की गई। इस प्रशिक्षण में एम.वी.एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के बारे में श्री डी.पी. सैनी, सेवानिवृत सहायक निदेशक अभियोजन ने जानकारी देते हुए सड़क दुर्घटनाओं से सम्बन्धित कानूनी प्रावधान बताये।

राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने यातायात पुलिस में कार्य करने वाले अधिकारियों के व्यवहार पर विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि यातायात पुलिसकर्मी को यातायात संचालन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान बनाना उनका मुख्य कार्य नहीं है। उन्हें यातायात संचालन के दौरान वाहन चालकों के साथ संयमित एवं मृदु व्यवहार करना चाहिए। अचानक यातायात उल्लंघनकर्त्ता की तरफ दौड़कर जाने तथा अचानक चिल्लाकर बोलने से भी कई बार दुर्घटनायें हो जाती है। यातायात पुलिसकर्मी को इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए। यातायात पुलिसकर्मियों को अपने टर्न आउट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्री शैलेन्द्र झा ने सड़क दुर्घटना के मामले में विधि विज्ञान की सहायता के बारे में बताते हुए इस प्रकार के मामलों में घटना के पुनर्निर्माण का अनुसंधान में महत्व बताया। उन्होंने विधि विज्ञान की सहायता से अपराध का पता लगाने के विभिन्न विधाओं की जानकारी प्रदान की। यातायात पुलिस के सहायक उप निरीक्षक श्री बनवारी लाल ने यातायात में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरणों के बारे में तथा सड़क प्रतीक चिन्हों एवं मार्किंग के बारे में जानकारी प्रदान की। कार्यशाला में मुस्कान एन.जी.ओ. के मृदुला भसीन एवं डॉ. नेहा खुलर ने भी सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जन हानि तथा मानव सम्पदा को होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी प्रदान की तथा श्रीमती प्रेरणा सिंह ने सुरक्षित वाहन चलाने के लिए आवश्यक बातें बताई। डॉ. अचला कपूर ने घायलों को दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बताते हुए घायलों को उठाने, लेटाने, अस्पताल तक पहुँचाने में रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताते हुए कृत्रिम श्वास के द्वारा घायलों की प्राण रक्षा के गुर बताये।

तनाव रहित पुलिस जीवन का व्याकरण

राजस्थान पुलिस अकादमी में कुछ वर्ष पूर्व पुलिसकर्मियों में तनाव तथा इससे उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया था। अन्य पुलिस संगठनों द्वारा भी पुलिसकर्मियों में बढ़ते तनाव एवं उनकी दिनचर्या से उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर शोध करवाये गये हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सीमित मात्रा में तनाव आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में शत् प्रतिशत तनाव रहित होने की सम्भावना बहुत कम होती है। किसी कार्य को करने के लिए या उसमें उत्कृष्ठता प्राप्त करने के लिए तनाव का होना आवश्यक है। इस प्रकार का तनाव व्यक्ति के जीवन में प्रेरक का काम करता है। वस्तुतः इस प्रकार का तनाव जिससे व्यक्ति के परिवार अथवा स्वयं पर गलत प्रभाव पड़ता हो, उस पर नियन्त्रण की आवश्यकता रहती है। अत्यधिक चिन्ता निश्चित ही स्वास्थ्य पर भारी पड़ती है। अतः इस स्थिति में पहुँचने से पहले ही उसका निदान या उपचार किया जाना आवश्यक है।

पुलिसकर्मियों के जीवन में तनाव के अनेक कारण हो सकते है परन्तु कार्य समय अनिश्चित एवं लम्बा होने के कारण पुलिसकर्मियों को अपनी पारिवारिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में विशेष कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। पुलिस बलों की हर क्षेत्र में बढ़ती हुई भूमिका के कारण उन्हें निरन्तर लम्बे समय तक एवं बिना अवकाश के कार्य करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में कार्यालयों एवं पुलिस लाईन में पदस्थापित पुलिसकर्मी थोड़ी आसान स्थिति में होते हैं। पुलिस थानों में पुलिसकर्मियों को निरन्तर अनेक प्रकार की ड्यूटियाँ करनी पड़ती हैं। अवकाश का समय पूर्णतया अनिश्चित होता है तथा एक ड्यूटी से मुक्त होने से पहले ही दूसरी अपरिहार्यता के लिए भागना पड़ता है। ऐसे में पारिवारिक कार्य एवं जिम्मेदारियाँ निरन्तर अपूर्ण ही रहती है, जो तनाव का प्रमुख कारण बनती हैं। अतः परिवार की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता के आधार पर यथासम्भव समय देने का प्रयास करना चाहिए।

पुलिस में कार्य की अधिकता के कारण सामान्य दिनचर्या रखने में विशेष कठिनाई रहती है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम एवं विश्राम दोनों ही आवश्यक होते हैं। अत्यधिक थकान के कारण व्यायाम को हम भूल जाते हैं। थकान मिटाने के लिए बीड़ी–सिगरेट एवं अन्य प्रकार के नशे का सहारा लिया जाता है। रात को विलम्ब से सोने के कारण सुबह समय पर उठना सम्भव नहीं हो पाता है। कार्य की अधिकता एवं तनाव के कारण कई बार नींद समय पर नहीं आती है तथा एक बार नींद खुलने के पश्चात् पुनः नींद आने में विलम्ब हो जाने पर अगले दिन कार्य करना और भी मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार की दिनचर्या अनेक रोगों को जन्म देती है, जिसमें कार्य में मन नहीं लगना, भूख कम हो जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, डाइबिटीज हो जाना, कोलेस्ट्रोल बढ़ना, लकवे की बीमारी, चर्म रोग एवं हृदय सम्बन्धी बीमारियाँ होने का खतरा बढ़ जाता है। अतः पुलिसकर्मी के लिए यह आवश्यक है कि वह विकट परिस्थितियों में भी आवश्यक व्यायाम एवं विश्राम के लिए समय निकाले तथा जीवन शैली को यथा सम्भव स्वस्थ बनाये रखने का प्रयास करें।

व्यक्ति के खान–पान का भी उसकी दिनचर्या को नियमित रखने से सीधा सम्बन्ध है। शराब, गुटखा, बीड़ी–सिगरेट, तला हुआ भोजन या ऐसा खाद्य पदार्थ जो व्यक्ति विशेष को नहीं जचता है, के प्रयोग से भी नींद एवं दिनचर्या प्रभावित होती है। बार–बार खाना, अस्वास्थ्यवृर्द्धक खाद्य पदार्थों का प्रयोग, कम पानी पीना, अशुद्ध खाद्य पदार्थ एवं पानी का प्रयोग, बाजार के चाट आदि का प्रयोग भी व्यक्ति की दिनचर्या को प्रभावित करते हैं। दिनचर्या को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में दोस्तों एवं परिवार के साथ देर तक जागना, देर तक टेलीविजन कार्यक्रम देखना, लम्बे समय तक कम्प्यूटर पर कार्य करना, आराम का खयाल रखे बिना किसी कार्य के लिए देर तक जागना निश्चित ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। जीवन में किये गये छोटे–छोटे परिवर्तनों से व्यक्ति स्वस्थ एवं सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। स्वयं को नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थों का सेवन एवं अनियमित दिनचर्या त्याग कर हम स्वस्थ एवं सुखमय जीवन जी सकते हैं।

व्यक्ति की परेशानियों का एक कारण नकारात्मक

सोच भी है। प्रत्येक स्थिति में सकारात्मक होने से व्यक्ति अनेक प्रकार के तनावों से मुक्त रहता है। स्वयं पर भरोसा करने वाला एवं स्वयं से प्यार करने वाला व्यक्ति अधिक सकारात्मक बन सकता है। किसी अन्य को अपनी कठिनाईयों के लिए जिम्मेदार मानने वाला, अपनी विफलताओं पर स्वयं को कोसने वाला तथा अपनी प्राथमिकताओं को अन्य के विचारों से प्रभावित होकर तय करने वाला व्यक्ति अन्ततः निराश होता है। विपरित परिस्थितियों में स्वयं को विचलित नहीं होने देना, कठिन परिस्थिति में शुभचिन्तकों एवं विशेषज्ञों से परामर्श लेना, अपने आर्थिक संसाधनों का बेहतर प्रबन्धन करना जीवन को आसान बनाता है। अपनी परेशानियों का पिटारा हर समय एवं हर एक के सामने खोलने से व्यक्ति उपहास का पात्र बनता है। सकारात्मक सोच आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तथा उचित व्यक्तियों से विचार–विमर्श से समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है।

जीवन में अनेक परेशानियों को हम अपने व्यवहार के कारण आमंत्रण देते हैं। अचानक किये गये गुस्से के कारण हम हमेशा किसी व्यक्ति के लिए ताज्य बन सकते हैं। अचानक गुस्सा हमारी बुद्धि को हर लेता है तथा गुस्से में गलत व्यवहार एवं खराब निर्णय लेने की प्रबल संभावना रहती है। शुचिता एवं शीलता एक सभ्य व्यक्ति के आवश्यक गुण हैं। मृदु कौशल शुचिता एवं शीलता का प्रमुख अस्त्र है। इससे हमें दूसरों से प्यार एवं इज्जत मिलती है। किसी भी स्थिति में अपने व्यवहार पर नियंत्रण हमें नहीं खोना चाहिए।

पुलिसकर्मियों में अनुशासन की कमी के कारण उन्हें कई बार अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक पुलिसकर्मी को एक जिम्मेदार अधिकारी होने का अहसास होना चाहिए। उसके कार्य में हर समय पूर्ण ईमानदारी, कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा परिलक्षित होनी चाहिए तथा उसे एक पुलिस अधिकारी होने के नाते ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो उसके पुलिस अधिकारी होने के नाते अनुचित हो। सरकार एवं पुलिस विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उसे अपने कार्य का सम्पादन करना चाहिए। आचरण नियमों को भंग करने पर तथा दुराचरण किये जाने की स्थिति में दण्डित करने का प्रावधान है। दुराचरण से हर स्थिति में बचना चाहिए।

हमारे जीवन में समय प्रबन्धन की कमी के कारण हम अनेक बार अत्यधिक तनाव में आ जाते हैं। समय प्रबन्धन व्यवस्थित जीवन के लिए अतिशय जरूरी है। किसी भी कार्य में विलम्ब होने पर हमें तनाव होता है। हमारे तनाव का असर हमारे कार्य के अतिरिक्त परिवार के सदस्यों एवं सहकर्मियों पर भी पड़ता है। समय प्रबन्धन के अभाव में हम हर कार्य में पिछड़ जाते हैं तथा हमारी एक पुलिस अधिकारी के रूप में विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह् लग जाता है। किसी भी कार्य में विलम्ब होने पर हमें अनावश्यक रूप से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। समय प्रबन्धन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर भी हम बहुत से तनावों को टाल सकते है।

पुलिस में तनाव का एक बड़ा कारण पुलिसकर्मी के स्वभाव में कार्य लम्बित रखना भी है। कार्य सम्पादित नहीं होने से अपने आप तनाव बढ़ता चला जाता है। अतः कार्य को आगे के लिए टालने के स्थान पर उसे तुरन्त करने का प्रयास करना चाहिए। पुलिसकर्मीयों को विलम्ब से कार्य करने के लिए कई बार उच्च अधिकारियों से मिलने वाली डांट या स्पष्टीकरण का सामना करना पड़ता है। अतः अपने पास लम्बित सभी कार्यों की प्राथमिकता तय करते हुए आवश्यक मामलों में त्वरित निस्तारण का प्रयास करना चाहिए। कार्य में पूर्ण सावधानी तथा समयबद्ध निस्तारण से अनेक प्रकार के तनावों से बचा जा सकता है।

प्रत्येक पुलिसकर्मी अपनी दिनचर्या में छोटे–छोटे परिवर्तन कर तनाव मुक्त जीवन जी सकता है। ये परिवर्तन अत्यधिक दुरूह नहीं है अपितु इनके लिए एक विचार युक्त जीवन जीने की आवश्यकता है। पुलिस में बहुत से लोग अपने दैनिक जीवन की मामूली आदतों से ही परेशान रहते हैं। अपनी दिनचर्या में लघु परिवर्तन लाकर वे निश्चित ही एक स्वस्थ, निर्भीक एवं तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं।

— **जगदीश पूनियाँ,** उप अधीक्षक पुलिस

बाल संरक्षण पर प्रशिक्षण

राजस्थान पुलिस अकादमी में यूनिसेफ के सहयोग से दिनांक 20.04.2015 को बाल संरक्षण विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला के प्रथम सत्र में श्रीमती नीतू प्रसाद ने प्रतिभागियों को राजस्थान में बाल संरक्षण की स्थिति पर जानकारी प्रदान करते हुए, बच्चों से सम्बन्धित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों एवं दस्तावेजों से अवगत कराया। उन्होंने बालकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में विभिन्न बातें बताई तथा बालकों के संरक्षण की आवश्यकता एवं अधिकारों के सम्बन्ध में चर्चा की। श्री धर्मवीर यादव ने बाल विवाह की कुप्रथा के बारे में बताते हुए कम उम्र में शादी से पड़ने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं शारीरिक प्रभावों के बारे में बताया। उन्होंने बाल विवाह अधिनियम 2006 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान की। श्री गोविन्द बेनिवाल ने बाल श्रम निषेध अधिनियम पर तथा बाल श्रम से बच्चों के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बताया। उन्होंने राजस्थान में बाल संरक्षण की स्थिति का उल्लेख करते हुए किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बताया तथा उनको लागू करने में पुलिस की भूमिका को रेखाँकित किया।

श्री डी.पी. सैनी सेवानिवृत सहायक निदेशक अभियोजन ने कन्याभ्रूण हत्या के बारे में बताते हुए लिगांनुपात की स्थिति को स्पष्ट किया तथा इससे समाज पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों के बारे में बताया। उन्होंने पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में बताते हुए इसके प्रावधानों को लागू करने के बारे में प्रतिभागियों से जानकारी साझा की। श्रीमती अनुकृति उज्जैनियाँ ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं क्रिमनल लॉ एमेन्डमेन्ट एक्ट 2013 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए पुलिस द्वारा बलात्कार जैसे अपराधों की स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में बताते हुए बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के बारे में पुलिस की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। श्री ओम प्रकाश, उप अधीक्षक पुलिस जयपुर रैन्ज ने मानव तस्करी के बारे में बताते हुए उसके कारण और निवारण पर प्रतिभागियों से जानकारी साझा की। उन्होंने मानव तस्करी के सम्बन्ध में राजस्थान की स्थिति के बारे में भी बताया। इस प्रशिक्षण में 'एक था बचपन' फिल्म दिखाकर प्रतिभागियों को बाल अधिकारों के प्रति और अधिक संवेदनशीलता से कार्य करने का संदेश दिया गया। इस प्रशिक्षण में पुलिस उप निरीक्षक से उप अधीक्षक पुलिस स्तर के कुल 28 अधिकारियों ने भाग लिया।

बाल संरक्षण पर ही एक दिवसीय कार्यशाला दिनांक 29.04.2015 को आयोजित की गई, जिसमें बच्चों के संरक्षण में पुलिस, मीडिया एवं अन्य संस्थाओं की भूमिका के बारे में यूनिसेफ जयपुर के बाल संरक्षण अधिकारी श्री संजय निराला ने प्रतिभागियों से जानकारी साझा की। पुलिस, मीडिया एवं गैर सरकारी संगठनों के सामंजस्य पर बल देते हुए उन्होंने बाल संरक्षण से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों पर जानकारी प्रदान की। श्री अभिषेक सिंघल संपादक न्यूज टूडे, जयपुर ने मीडिया की बाल संरक्षण में उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के तहत भूमिका को रेखांकित करते हुए बालकों के अधिकारों की पूर्ण पालना पर बल दिया। अकादमी के निदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बालकों से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण में मीडिया एवं पुलिस के सामंजस्य पर बल दिया। उन्होंने बच्चों को देश का भविष्य बताते हुए उन्हें पूर्ण सुरक्षित परिस्थितियाँ प्रदान करने की आवश्यकता बताई। श्रीमती हंसा सिंह देव, निदेशक बाल अधिकारिता विभाग ने बाल संरक्षण पर प्रतिभागियों के साथ संवाद करते हुए राजस्थान में बाल संरक्षण की स्थितियों पर प्रकाश डाला।

सेन्ट्रल बैण्डकर्मियों को मेडल वितरण

राजस्थान पुलिस सेन्ट्रल बैण्ड केन्द्रीय पुलिस संगठनों एवं देश के अन्य पुलिस बलों के बैण्ड में अपनी विशेष पहचान बना चुका है। विगत् कई वर्षों से अखिल भारतीय पुलिस बैण्ड प्रतियोगिता में राजस्थान सेन्ट्रल बैण्ड कई प्रतियोगिताओं में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त कर चुका है। हमारे सेन्ट्रल बैण्ड के सम्मुख प्रमुख चुनौती केन्द्रीय पुलिस संगठनों के बैण्ड की रहती है, जहाँ बैण्ड को वर्ष भर अभ्यास करवाया जाता है। वर्ष 2014 में असम में हुई अखिल भारतीय पुलिस बैण्ड प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस सेन्ट्रल बैण्ड ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। राजस्थान पुलिस सेन्ट्रल बैण्ड की इस उपलब्धि पर सेन्ट्रल बैण्ड के समस्त टीम के सदस्यों को निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, श्री भगवान लाल सोनी द्वारा दिनांक 21.05.2015 को अकादमी के ऑडिटोरियम में मेडल, प्रमाण–पत्र एवं ट्रेक शूट प्रदान कर सम्मानित किया गया।

राजस्थान पुलिस सेन्ट्रल बैण्ड टीम का नेतृत्व श्री नरेन्द्र कुमार, प्लाटून कमाण्डर द्वारा किया गया। स्वभाव से सौम्य श्री नरेन्द्र कुमार वर्षभर राजस्थान पुलिस सेन्ट्रल बैण्ड टीम को प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अभ्यास करवाते रहते है। उनके टीम के सदस्यों के साथ सामंजस्य के फलस्वरूप ही राजस्थान पुलिस सेन्ट्रल बैण्ड टीम निरन्तर अखिल भारतीय स्तर पर उत्कृष्ठ प्रदर्शन कर रही है। इस मेडल सेरेमनी में श्री नरेन्द्र कुमार ने टीम की तरफ से ट्रॉफी प्राप्त की। इस वर्ष टीम के प्रबन्धक के रूप में श्री जितेन्द्र कुमार कम्पनी कमाण्डर टीम के साथ गये थे। उन्हें भी इस अवसर पर ट्रेक शूट प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने टीम के समस्त सदस्यों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर बधाई दी तथा कहा कि हमारी टीम को आने वाली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए पूर्ण लगन के साथ में तैयारी करनी चाहिए। श्री नरेन्द्र कुमार ने टीम के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निदेशक महोदय को भरोसा दिलाया। अकादमी के ऑडिटोरियम में उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने राजस्थान पुलिस सेन्ट्रल बैण्ड टीम की उपलब्धि पर करतल ध्वनि से हौंसला अफजाई की। वस्तुतः राजस्थान पुलिस सेन्ट्रल बैण्ड टीम यह साबित कर चुकी है कि सफलता प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्ट कट काम नहीं करता है। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निरन्तर परिश्रम की आवश्यकता रहती है।

बैंक धोखा-धड़ी मामलों पर प्रशिक्षण

वर्तमान समय में पुलिस के सामने आर्थिक अपराधों से निपटना प्रमुख चुनौती है। इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के बढ़ते हुए प्रयोग के कारण तथा उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से भुगतान किये जाने के कारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से छेड़छाड़ एवं उनके दुरूपयोग के कारण आर्थिक अपराधों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। तकनीकी में दक्ष अपराधियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से उपभोक्ताओं से ठगी करने के अपराधों में निरन्तर बढ़ोतरी हो रही है। विभिन्न बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं को कई तरह से सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है परन्तु शिक्षा की कमी के कारण या उपभोक्ताओं को भ्रम में डाल कर इस प्रकार के अपराध निरन्तर किये जा रहे है। बहुत से मामलों में तो बैंक अधिकारी बन कर ही उपभोक्ता से उसके पिन कोड एवं अन्य जानकारियाँ प्राप्त कर उन्हें ठगा जा रहा है। एटीएम मशीन से छेड़छाड़, कार्ड बदलकर, कार्ड का क्लॉन बनाकर एवं अन्य तरीकों से उपभोक्ताओं को ठगने के समाचार रोजाना अखबारों की सुर्खियाँ बन रहे है। इस प्रकार के अपराधों से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों को भी समान रूप से तकनीकी दक्ष बनाने की आवश्यकता है ताकि इस प्रकार के अपराध होने की स्थिति में उसका सही अनुसंधान किया जाकर अपराधी तक पहुँचा जा सके तथा पीड़ित व्यक्ति को न्याय प्रदान किया जा सके। एचडीएफसी बैंक जयपुर की रिस्क इन्टेलिजेन्स एवं कन्ट्रोल यूनिट द्वारा इस प्रकार के प्रशिक्षण की पेशकश किये जाने के पश्चात् राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिलों से उप निरीक्षक से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु आमन्त्रित किया गया।

राजस्थान पुलिस अकादमी में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 07.04.2015 को किया गया। इस प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को साईबर क्राईम के अनुसंधान के बारे में विस्तार से बताते हुए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को सुरक्षित रखने, कम्प्यूटर साक्ष्य का विश्लेषण करने तथा अन्य ऐजेन्सियों से सामंजस्य स्थापित करने के बारे में बताया गया। अपराध होने की स्थिति में पुलिस अधिकारियों को किस प्रकार के अपराध में अनुसंधान हेतु किस–किस प्रकार के साक्ष्य लेकर अपराधी तक पहुँचा जा सकता है तथा किस प्रकार के साक्ष्य से इस प्रकार के मामलों में न्यायालय में अपराधी को सजा दिलवायी जा सकती है, के बारे में भी बताया गया। इस प्रशिक्षण में कुल 47 अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् पुलिस अधिकारियों से प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तो अधिकांश प्रतिभागियों द्वारा बैंक धोखा–धड़ी के मामलों में ओर अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिलवाये जाने की आवश्यकता बताई।

निवेदन

राजस्थान पुलिस अकादमी न्यूज लैटर में पाठकों से निरन्तर सुझाव आमंत्रित किये जाते रहे हैं। आपके सुझाव हमारे लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। न्यूज लैटर में प्रस्तुत सामग्री एवं इसके कलेवर के सम्बन्ध में आप अपने सुझाव अवश्य प्रेषित करें। आप अपने विचारों से न्यूज लैटर को बेहतर बनाने में सहयोग कर सकते हैं।

— सम्पादक

विधि से संघर्षरत किशोर, देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा पीड़ित बच्चों की देखरेख, संरक्षण, हेतु पुलिस अधिकारियों को समर्थ करने के लिए एवं अपने कार्य को अत्यधिक प्रभावी तरीके से पूर्ण करने के लिए जिला स्तर पर विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं थाना स्तर पर बाल कल्याण अधिकारी का प्रावधान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2000 एवं राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं सरक्षण) नियम, 2011 में किये गये है। विधि से संघर्षरत किशोर एवं देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में सभी आवश्यक कारवाई अधिनियम एवं संगत नियमों के अनुरूप ही की जानी आवश्यक है।

संरचना एवं कार्य

अधिनियम की धारा 63(1) में विशेष किशोर पुलिस इकाई का प्रावधान किया गया है।

1. विशेष किशोर पुलिस इकाई का अध्यक्ष जिला पुलिस अधीक्षक को नामित किया गया है, अपराध सहायक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगे।
2. जिला बाल संरक्षण इकाई विशेष किशोर पुलिस इकाई को अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए दो सामाजिक कार्यकर्ताओं की सेवाऐं उपलब्ध करायेगें।
3. विशेष किशोर पुलिस इकाई विधि से संघर्षरत किशोर एवं बच्चों पर हो रहे अत्याचारों, शोषण को रोकने, विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए निगरानीकर्ता के रूप में काम करेगी।
4. इकाई बालकों के विरूद्ध अपराधों के अपराधियों की गिरफ्तारी एवं विधि के उपबंधों में मामला दर्ज होना सुनिश्चित करेगी।
5. विशेष किशोर पुलिस इकाई स्वं संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर विधि से संघर्षरत बच्चों की पहचान व बच्चों के विरूद्ध होने वाले अत्याचारों, शोषण के बारे में जानकारी जुटायेगी।
7. विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा प्रत्येक पुलिस थाने में नियुक्त किशोर या बाल कल्याण अधिकारी व दो सामाजिक कार्यकर्ताओं किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाइन एवं इस क्षेत्र में कार्यरत अनुभवी स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के कार्यो की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु प्रत्येक तीन माह में एक बार समीक्षा की जायेगी।

बाल कल्याण अधिकारी

अधिनियम की धारा 63(2) में बाल कल्याण अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

(1) प्रत्येक पुलिस थानें में थानाधिकारी या उपनिरीक्षक, जो बच्चों से जुडे मुद्दों पर जानकारी रखता हो, प्रशिक्षित हो, को बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

(2) बाल कल्याण अधिकारी की मदद हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से दो अवैतनिक/वैतनिक सामाजिक कार्यकर्ता (एक महिला) की भी नियुक्ति करेंगे।

(4) उक्त अधिकारी द्वारा थाना क्षेत्र के विधि से संघर्षरत एवं देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलें देखे जायेगे। अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि चाइल्ड हैल्प डेस्क प्रभावी ढ़ग से कार्य करें।

(7) थाने के सूचना पट्ट पर सभी बाल कल्याण अधिकारियों के अतिरिक्त जिले में गठित किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, सम्प्रेक्षण, बालगृह का नाम, पता मय दूरभाष नम्बर प्रदर्शित होना चाहिए।

विधि से संघर्षरत किशोर के मामले में पुलिस अधिकारी की भूमिका

1. बाल कल्याण अधिकारी द्वारा विधि के उल्लघंन के किशोर के माता पिता या संरक्षक को उस किशोर के पकडे जाने की सूचना, बोर्ड का पता जहां किशोर को प्रस्तुत किया जायेगा, और उस तारीख एवं समय की सूचना दी जावेगी
2. विधि से संघर्षरत किशोर को 24 घण्टे (यात्रा समय को छोड़कर) के भीतर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
3. केस डायरी में उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि एवं उसे जिन परिस्थितियों में पकडा गया है एवं अभिकथित

अपराध के अभिलेख भी लेगा जिन्हें वह तत्काल बोर्ड को भेजेगा।

4. देर रात्रि के समय बच्चे को बोर्ड के सदस्य के सम्पर्क नहीं होने की स्थिति में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में रखा जा कर अगले दिन बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
5. बाल कल्याण अधिकारी किशोर को चिकित्सा सहायता, भोजन, दुभाषिया की सहायता जैसी समूचित व्यवस्था उपलब्ध करवायेगा।
6. किसी भी मामलें में विधि का उल्लघंन करने वाले किशोर को पुलिस किसी भी दशा में उसे हवालात में नहीं रखेगी या जेल में बन्द नहीं किया जावेंगा।
7. इस अधिनियम के अनुसार किशोर या बालक से सम्पर्क में आने पर बाल कल्याण अधिकारी वर्दी में नहीं होगें।
8. विधि का उल्लघंन के मामले में किशोर या बालक को हथकड़ी या बेड़ी नहीं लगायी जायेगी।
9. विधि से संघर्षरत किशोर के विरूद्ध कार्यवाही करने से पूर्व पुलिस अधिकारी द्वारा किशोर के उम्र संबंधी दस्तावेज तथा अन्य माध्यमों से सुनिश्चित किया जायेगा कि उसने यह अपराध 18 वर्ष से कम उम्र की आयु में किया है।
10. विधि से संघर्षरत किशोर या देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक से सम्बन्धित किसी जांच को समाचार पत्र, पत्रिका और दृश्य माध्यम में कोई भी रिपोर्ट किशोर की पहचान की ओर ले जाने वाले नाम,पता या विधालय की विशिष्टियों को प्रकट नहीं किया जावेंगा
11. किशोर से पूछताछ गोपनीय एवं अनुकूल/बाल मैत्रीपूर्ण वातावरण में की जानी चाहिए।
12. किशोर से पूछताछ एवं उसका बयान सावधानीपूर्वक उसके माता पिता एवं परिजनों के समक्ष लिया जाएगा।
13. किशोर से उसके घर/सम्प्रेक्षण/बालगृह या कोई अन्य उपयुक्त स्थान पर ही पूछताछ की जायेगी किसी भी परिस्थिति में थाने पर पूछताछ नहीं की जायेगी।
14. आवश्यकतानुसार किशोर को आवश्यक मूलभूत सुविधाऐं, दुभाषिया उपलब्ध कराए जाएंगे।
15. किशोर को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा बालिकाओं के संबंध में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही कारवाई की जाएगी।
16. प्रश्न पूछने के दौरान किसी प्रकार का अनैतिक कृत्य नहीं करेंगे जिससे किशोर/बालक को किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक क्षति पहुचे।
17. अधिकारी को किशोर के प्रति सम्मान एवं समझदारी दिखाते हुए यह दर्शाना चाहिए कि वह उसका सर्वोत्तम हित चाहता है।
18. विधि से संघर्षरत किशोर का रिकॉर्ड गोपनीय रखा जायेगा।
19. किशोर को तुरंत उसके खिलाफ आरोपों के बारे में सूचित किया जायेगा।
20. गुमशुदा बच्चों से संबंधित समस्त सूचना गुमशुदा व्यक्ति रिपोर्ट (एम.पी.आर.) में दर्ज की जायेगी। इसकी प्रति संबंधित जिले की बाल कल्याण समिति को भी अनिवार्यता से प्रेषित की जाकर इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत किया जायेगा।
21. गुमशुदा बच्चों से संबंधित समस्त सूचना मय फोटो ZIPNET (जीपनेट) पर प्रकाशित की जायेगी। पुलिस मुख्यालय स्थित गुमशुदा प्रकोष्ठ को भेजनी होगी।
22. किसी भी बालिका को सूर्यास्त बाद एवं सूर्योदय पूर्व हिरासत में नहीं लिया जाएगा।
23. देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता के लिए पुलिस को मिले मानसिक रूप से निःशक्त बच्चे की राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकीय जांच करवा कर उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
24. बच्चों से पूछताछ एवं उसका बयान सावधानीपूर्वक उसके माता–पिता एवं परिजन के समक्ष लिया जायेगा।
25. सभी पीड़ित बच्चों के तत्काल भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान लिये जायेगे।
26. नवजात शिशु/बच्चें के मामलों में पुलिस तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जायेगी।

–अनुकृति उज्जैनियाँ, सहायक निदेशक

माननीय श्री गुलाब चन्द कटारिया गृह मंत्री, राजस्थान सरकार, राजस्थान पुलिस अकादमी में रोड़ सेफ्टी संदेश पर हस्ताक्षर कर प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए।

श्री मान सिंह मुख्य आरक्षक एवं श्री बाबू लाल ट्रेडमेन अकादमी से दिनांक 30.06.2015 को सेवानिवृत हुए है। अकादमी परिवार इनके सु:खद सेवानिवृत जीवन की कामना करता है। श्री मान सिंह एवं श्री बाबू लाल अपनी कर्त्तव्य निष्ठा एवं ईमानदारी के कारण समस्त कर्मचारियों के प्रिय रहे हैं।

Editorial Board

Editor in Chief

Bhagwan Lal Soni, IPS, Director

Editor

Jagdish Poonia, RPS

Members

A V Shukla (Addl. Director)
Om Prakash (DD)
Deepak Bhargava (AD)
Alok Srivastav (AD)
Saurabh Kothari (AD)
Anukriti Ujjainia (AD)
Laxman Singh Manda (AD)

Photographs By Sagar

Rajasthan Police Academy
Nehru Nagar, Jaipur (Rajasthan) India
Ph. : +91-141-2302131, 2303222, Fax : 0141-2301878
E-mail : policeresearchrpa@yahoo.com Web : www.rpa.rajasthan.gov.in

Premier # 0141-2295097